### एक नजर में

## अखंड धाम पर गुरू पूर्णिमा महोत्सव शुरू

इंदौर . बिजासन रोड स्थित प्राचीन श्री अविनाशी आश्रम अखंड धाम पर तीन दिवसीय गुरू पूर्णिमा महोत्सव आज से 10 जुलाई तक मनाया जाएगा। आश्रम परिवार के हरि अग्रवाल एवं सचिन सांखला ने बताया कि आज सुबह महामंडलेश्वर स्वामी डॉ. चेतन स्वरूप के सानिध्य में अखंड रामायण पाठ के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर संत राजानंद महाराज के सानिध्य में आश्रम के ट्रस्ट मंडल की ओर से हरि अग्रवाल, ठा. विजयसिंह परिहार, सचिन सांखला, भावेश दवे, रणधीर दग्धीआदि ने रामायणजी का पूजन किया. महोत्सव में 9 जुलाई को दोपहर 3 से सायं 6 बजे तक अखंड रामायण पाठ का विराम एवं संत महात्माओं के सानिध्य में भजन कीर्तन एवं प्रवचन के कार्यक्रम होंगे. इसके पूर्व सम्पूर्ण गीता पाठ का आयोजन भी होगा। गुरुवार 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से गुरू पूजन एवं गुरू गीता पाठ के बाद 9 बजे से सदगुरूदेव भगवान की पूजा एवं महाआरती के आयोजन प्रारंभ होंगे. उन्होंने बताया कि आश्रम पर वर्ष 2006 से ओम नम: शिवाय महामंत्र के अखंड जाप का अनुष्ठान भी जारी है. आगामी दिसम्बर माह में 4 से 10 तारीख तक आश्रम पर अ.भा. अखंड वेदांत संत सम्मेलन का 58वां आयोजन भी होगा, जिसमें आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज का 58वां पुण्यतिथि महोत्सव भी मनाया जाएगा.

## कांटाफोड़ शिव मंदिर से जुड़े भक्त अमरनाथ रवाना

इंदौर . बाबा बर्फानी के दर्शन करने और अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बालटाल एवं पंचतरणी में चल रहे शहर के नवलखा स्थित मनकामेश्वर कांटाफोड़ शिव मंदिर की लंगर सेवा में मदद के लिए मंदिर से जुड़े 90 श्रद्धालु मंगलवार दोपहर मालवा एक्सप्रेस से प्रस्थित हुए तो समूचा रेलवे स्टेशन परिसर बाबा बर्फानी के जयघोष से गूंज उठा. विधायक गोलू शुक्ला ने रेलवे स्टेशन पर सभी श्रद्धालुओं को विदाई दी. श्रद्धालु अपने साथ 10 किलो वजनी त्रिशूल भी लेकर गए हैं, जिसकी स्थापना गुफा स्थल पर की जाएगी. यह परंपरा वर्ष 2006 से चली आ रही है. मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु बिंदल, टीकमचंद गर्ग एवं संयोजक बी.के. गोयल ने बताया कि अरमनाथ श्राईन बोर्ड द्वारा पहली बार मंदिर को लंगर सेवा के लिए सीधे अनुमति प्राप्त हुई है. फलस्वरूप पंचतरणी एवं बालटाल में खन्ना (पंजाब) के श्री बर्फानी सेवा दल के साथ गत 1 जुलाई से ही भव्य लंगर सेवा प्रारंभ हो गई है. आज गए श्रद्धालुओं के जत्थे की सारी व्यवस्था सुशील प्रजापति एवं आनंद शर्मा की देखरेख में संपन्न होगी। यह जत्था 17 जुलाई को इंदौर लौट आएगा. इस बार मंदिर के श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के साथ ही वैष्णोदेवी, शिवखोड़ी, श्रीनगर एवं गुलमर्ग सहित जम्मू कश्मीर के अन्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी करेंगे.

## समाजसेवी कमल डोंगरिया का दुखद निधन

इंदौर . श्री नागर चित्तौड़ा वैश्य महाजन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं स्व. फतेहचंद डोंगरिया के सुपुत्र कमल डोंगरिया का आज सुबह अल्प बीमारी के बाद बैकुंठवास हो गया. उन्होंने आजीवन चितौड़ा, अग्रवाल एवं वैश्य समाजों के बीच एकता सहित विभिन्न मुद्दों पर समर्पित भाव से काम किया. वे 68 वर्ष के थे. वे अपने पीछे पत्नी, दो पुत्रियों, दामादों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. निधन के पूर्व उन्होंने गो सेवा का पुण्य लाभ भी उठाया. अंतिम यात्रा 9 जुलाई को सुबह 11 बजे उनके 80-सी, संगम नगर स्थित निवास से प्रारंभ होकर निज निवास 72 सर हुकमचंद मार्ग, इतवारिया बाजार होते हुए पंचकुइया मोक्ष धाम पहुंचेगी. श्री नागर चित्तौड़ा वैश्य महाजन समाज के अ.भा. अध्यक्ष राजेश महाजन, धर्मेन्द्र गुप्ता, अग्रसेन सोशल ग्रुप के राजेश गर्ग, शिव जिंदल सहित अनेक स्नेहीजनों ने उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

## कोटवारों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन

देपालपुर . देपालपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में कोटवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अंचल के समस्त कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर देपालपुर तहसीलदार लोकेश आहूजा के समक्ष मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया साथ ही मांग की गई है कि हमें पिछले 5 महीना से वेतन नहीं दिया गया हमें समय पर वेतन दिया जाए. 3 साल से कोटवारों को वर्दी का पैसा नहीं मिला है. अन्य कर्मचारियों की तरह कोटवारों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि कोटवार के परिवार को दी जाए. कोटवारों पर गंभीर अपराध के झूठे आरोप लगने पर या अन्य किसी कारण से कोटवार को सेवा पृथक करने का अधिकार तहसीलदार के स्थान पर संपूर्ण विभाग की न्यायिक जांच उपरांत कलेक्टर को दिया जाए. कोटवारों ने तहसीलदार लोकेश आहूजा से कहा कि आप हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाए. साथ ही तहसीलदार लोकेश आहूजा ने कोटवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है.

# रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल चालू करें : सिलावट

**रेलवे, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस आदि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें**

**जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में सिंगापुर टाउनशिप रेलवे अंडर ब्रिज को लेकर बैठक**

**इंदौर. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में सिंगापुर टाउनशिप रेलवे अंडर ब्रिज को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में अपर कलेक्टर रोशन राय, नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अभय राजगांवकर, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, विजय नगर एसीपी आदित्य पटले, अनुविभागीय अधिकारी सांवेर घनश्याम धनगर, अनुविभागीय अधिकारी जूनी इंदौर के प्रदीप सोनी, एसीपी ट्राफिक मनोज खत्री, लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी सहित रेलवे, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.**

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिंगापुर टाउनशिप के पास स्थित रेलवे अंडर ब्रिज के पास ट्रैफिक समस्याएं आ रही है, इसे देखते हुए समीप बन रहे नवीन अंडर पास के निर्माण कार्य को तत्काल चालू करें. यह निर्माण कार्य वर्ष 2018 से बन रहा, किन्तु अभी तक तैयार नहीं होने पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा कर इस कार्य को तुरंत चालू करने के निर्देश दिए. जिस पर रेलवे अधिकारी ने उक्त कार्य को तुरंत चालू करने का आश्वासन दिया.

मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी मौके पर जाकर देखे और सतत मॉनिटरिंग करें, ताकि बारिश के मौसम में स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो. रेलवे, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस आदि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि नागरिकों को परेशानियां न उठाना पड़े.

### भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए

श्री सिलावट ने रेलवे अधिकारियों को कहा सिंगापुर टाउनशिप पास के नवीन निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज के बंद निर्माण कार्य को पुन: चालू कर बाउंड्रीवाल का निर्माण करें. निर्माण में लगने वाले समय को भी बताया जाये, ताकि जो निर्माण कार्य है, वह हो सकें. साथ ही रेत डंपर, बड़े डीजल-पेट्रोल चलित बड़े टैंकर, क्रेन, जेसीबी, बड़े आयशर गाड़ियां, छोटे ट्रक को रोकने के लिए आरपीएफ पुलिस की व्यवस्था की जाये. उन्होंने अपर कलेक्टर सहित अनुविभागीय अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेत डंपर, क्रेन, टैंकर, स्कूल बसें एवं चार पहिया वाहनों के आवागमन से अंडर ब्रिज पर सुबह 6 से 8 बजे व दो. 2 से शाम 4 बजे तक यातायात बाधित हो जाता है. इस वजह से स्थानीय नागरिकों व स्कूली बच्चों को परेशानी होती है. इस कार्य के निराकरण के लिए स्थानीय थाने से पुलिस व्यवस्था की जाये. इसके अलावा सिंगापुर टाउनशिप जंक्शन से रेलवे अंडर ब्रिज तक का मार्ग संकरा होने के कारण भारी वाहनों से बार-बार यातायात बाधित होता है, इसलिए ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित किया जाये.

# पुराना क्रॉसिंग खोले जाने की मांग

**लंबे जाम से परेशान क्षेत्रवासी, सिंगापुर टाउनशिप वाले चौराहे पर नहीं है पुलिस व्यवस्था**

**इंदौर.** मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ब्रिज का कार्य जब तक पूरा नहीं होता, तब तक सिंगापुर टाउनशिप के पास स्थित पुराने रेलवे क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से चालू किया जाए. यह मांग किसान नेता हंसराज मंडलोई ने उठाई है. उन्होंने कहा कि रेलवे ब्रिज निर्माण के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मंडलोई ने कहा कि सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की सैकड़ों कॉलोनियों में रहने वाले हजारों नागरिकों को आने-जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं. गर्मी के मौसम में छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों

को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं, मांगलिया व क्षिप्रा क्षेत्र के ग्रामीणों को भी आवागमन में बड़ी बाधाएं झेलनी पड़ रही हैं. उन्होंने यह भी मांग की कि रेलवे विभाग जल्द से जल्द दूसरा बोगदा चालू करे, जिससे ट्रैफिक दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सके. इसके अलावा, निरंजनपुर से मांगलिया तक के मार्ग पर, खासतौर पर सिंगापुर टाउनशिप वाले चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन जताया.

इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश पटेल, प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदार विजय बंटी राठौर भी उपस्थित रहे. नेताओं ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

## एमवाय अस्पताल में जटिल एंडोस्कोपिक थायरॉयड सर्जरी सफल

**नव भारत न्यूज**

**इंदौर.** एमवाय अस्पताल की सर्जरी टीम ने एक अत्यंत जटिल एंडोस्कोपिक थायराडेक्टमी थायरॉइड ग्रंथि की शल्य चिकित्सा कर एक मरीज की जान बचा ली गई. 45 वर्षीय ओमप्रकाश नामक मरीज को सांस लेने और निगलने में दिक्कत, गले की सूजन और सीने पेट में भारीपन की शिकायत थी. जांचों के बाद पाया कि उसकी थायरॉइड ग्रंथि में अत्यधिक सूजन आ चुकी थी और गले में गांठ का आकार खतरनाक रूप से बढ़ गया था. महाविद्यालय के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत मरीज को भर्ती कर विस्तृत परीक्षण किए और फिर चार घंटे तक चले ऑपरेशन में सफलतापूर्वक थायरॉइड ग्रंथि को निकाला. चुनौती यह थी कि ग्रंथि स्वर रज्जु से चिपकी हुई थी, जिससे आवाज जाने का गंभीर खतरा था. साथ ही, थायरॉइड क्षेत्र में अत्यधिक रक्त सप्लाई होने के कारण रक्तस्राव की भी बड़ी आशंका थी. डॉ. घनघोरिया ने बताया ऑपरेशन तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल था. स्वर रज्जु और पैराथायरॉइड ग्रंथियों को सुरक्षित रखते हुए हमने ग्रंथि को पूरी तरह हटाया और मरीज की जान बचाई. टीम के सदस्य डॉ. मनीष गोयल ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज को विशेष वॉयस रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है. एंडोस्कोप से वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु को उत्तेजित कर स्वर-उत्पत्ति में मदद की जाती है. उम्मीद है मरीज जल्द सामान्य रूप से बोलने लगेगा. जटिल ऑपरेशन में डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के साथ डॉ. नवीन गुप्ता, डॉ. मनीष गोयल और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का योगदान रहा.

# देवी अहिल्या संस्था की वरीयता सूची जल्द जारी करें : कलेक्टर

**नव भारत न्यूज**

**सहकारिता, आईडीए और कॉलोनी सेल विभाग को दिए निर्देश**

**इंदौर।** शहर की विवादित देवी अहिल्या श्रमिक कामगार गृह निर्माण सहकारी संस्था की वरीयता सूची जल्द जारी की जाएं। संस्था सदस्यों की पात्रता और अपात्रता की जांच कर चयन प्रक्रिया पूरी कर सूची को अंतिम रूप दे। यह निर्देश आज कलेक्टर ने सहकारिता, आईडीए और कॉलोनी सेल विभाग को दिए.

कलेक्टर आशीष सिंह से आज देवी अहिल्या श्रमिक कामगार गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों ने मुलाकात कर समस्या बताई थी. सदस्यों ने कलेक्टर से संस्था वरीयता सूची प्रकाशित करने की मांग की. इसके बाद कलेक्टर ने मौके से ही मोबाइल पर संबंधित विभाग प्रमुखों से चर्चा की. साथ ही निर्देश दिए उक्त संस्था के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण करें। कलेक्टर ने सहकारिता विभाग, कॉलोनी सेल को आदेश दिए कि संस्था के पात्र और अपात्र सदस्यों की जांच कर वरीयता सूची का जल्द प्रकाशन करें. कलेक्टर आशीष सिंह ने आज जमीन और प्लॉट संबधी शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि अनियमितताएं और धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कारवाई कर रहा है.

### इलाज शिक्षा के लिए भी सहायता

जनसुनवाई में आवास, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, निजी भूमि पर अतिक्रमण, बीमार व्यक्ति को आर्थिक सहायता आदि संबंध में आवेदन आयें. जनसुनवाई में प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया. शेष प्रकरणों को तय समय-सीमा में निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया. इसके साथ ही जरूरतमंदों को इलाज, शिक्षा एवं रोजगार सहायता भी प्रदान की गई. निर्देश दिए गये कि जो प्रकरण मौके पर निराकृत नहीं हो सकते, उन्हें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कर, समय-सीमा में सकारात्मक समाधान किया जाए.

# ओमैक्स ने इंदौर में 450 एकड़ क्षेत्रफल में एकीकृत टाउनशिप की योजना के साथ किया विस्तार का ऐलान

**1200 करोड़ के निवेश की योजना, प्रोजेक्ट में शामिल होंगे रिहाइशी, कमर्शियल, एजुकेशन व हेल्थ केयर ज़ोन्स**

**इंदौर. एस्टेट डेवलपर्स ओमैक्स लिमिटेड ने इंदौर शहर में 450 एकड़ क्षेत्रफल में भूमिका अधिग्रहण कर मध्यप्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण विस्तार योजना की घोषणा की है. ओमैक्स इस भूमि परआधुनिक एकीकृत टाउनशिप का निर्माण कर भारत के टियर 2 शहरों को विकास केंद्रों (ग्रोथहब्स) के तौर पर विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगी.**

इंदौर के तेजी से विकसित हो रहे ज़ोन्स में विकसित होनेवाली इस नई टाउनशिप से यहां शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा. लगभग 1200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार होने वाली इस परियोजना को कई चरणों में विकसित करने की योजना है, और इससे अगले तीन वर्षों में 2500 रुपए करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है.

ओमैक्स के अनुशासित फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अनुरूप, फंडिंग के लिए आंतरिक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा. मोहित गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओमैक्स लिमिटेड ने कहा, यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में हमारी विस्तार योजना में महत्वपूर्ण है. हमारा हमेशा से मानना है कि इंदौर जैसे शहरों में दीर्घकालिक विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं, और इस टाउनशिप को फ्यूचर-रेडी इको सिस्टम को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जहां हाइ-क्वालिटी रिहाइशी, कमर्शियल, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मेल उपलब्ध कराया जाएगा।

इंदौर में हमारी अन्य टाउनशिप्स में पहले ही 2500 परिवार रह रहे हैं, और अब हम यहां अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाने को लेकर उत्साहित हैं.

### चौड़ी-खुली आंतरिक सड़कें और हरियाली

ओमैक्स की इस नई टाउन शिप में कुछ रिहाइशी भूखंडों के अलावा आवासीय समूह, कमर्शियल और रिटेल ज़ोन्स, हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र, स्कूल एवं हेल्थकेयर सुविधाओं समेत पार्कों, ग्रीनबेल्ट तथा अन्य सार्वजिनक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। टाउनशिप का लेआउट इस तरह से होगा कि इस सेल्फ-सस्टेंड अर्बन इकोसिस्टम में चौड़ी-खुली आंतरिक सड़कें, बिजली और पानी का समुचित इंतजाम, रास्तों के दोनों ओर हरियाली और चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

# पुलिस विभाग में फिर 65 कर्मियों के तबादले

**इंदौर.** शहर में पुलिस महकमे ने सोमवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 65 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए. इनमें 41 कांस्टेबल तथा 24 एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और अन्य शामिल हैं. यह सभी कर्मचारी लंबे समय से थानों या कार्यालयों में पदस्थ थे और तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका था.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन तबादलों की सूची उन 90 पुलिसकर्मियों पर केंद्रित रही, जिन पर विभागीय जांच, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या अन्य शिकायतें दर्ज हैं. इससे पहले 17 पुलिसकर्मियों को थाने से हटाकर सीधे डीआरपी लाइन अटैच किया जा चुका है. इस तरह अब तक 85 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए जा चुके हैं. डीएसपी मुख्यालय प्रकाश परिहार द्वारा जारी की गई दो अलग-अलग सूचियों के अनुसार, इन सभी को विभिन्न थानों व इकाइयों में स्थानांतरित किया है. कई पुलिसकर्मियों पर लंबे समय से शिकायतें लंबित थीं, जबकि कुछ के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. वहीं, कुछ मामलों में कोर्ट से क्लीन चिट मिलने या शिकायत सिद्ध न हो पाने के चलते कुछ नाम फिलहाल तबादला सूची से बाहर रखे गए हैं. इस बीच, विभागीय कार्रवाई को लेकर खुद महकमे के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं. कुछ टीआई, एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों पर भी पारदर्शिता की अनदेखी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.


**शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

CIN: U65921DL2010PLC199469 दूरभाष: +91 124 4212531 www.shubham.co

कॉर्पोरेट कार्यालय: शुभम हाउस, 425, उद्योग विहार, फेज IV, गुरुग्राम- 122015

पंजीकृत कार्यालय: 608-609, छठी मंजिल, ब्लॉक-सी अंसल इंपीरियल टॉवर, सामुदायिक केंद्र, नारायणा विहार, नई दिल्ली- 110028

**सूचना**

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय संख्या - 401, 402, आशियाना बिजनेस सेंटर 4 कल्पनालोक कॉलोनी खगराना रोड इंदौर - 452018 (भारत) का शाखा कार्यालय दिनांक 10 सितंबर- 2025 से कार्यालय समय समाप्त हो जाने पर परिचालन रूप से बंद रहेगा कुछ बेहतर अवसरों की कमी के कारण. हालांकि, कंपनी अपने ग्राहकों को प्रथम तल, आशियाना बिजनेस सेंटर, कल्पनालोक कॉलोनी, खजराना रोड, इंदौर 452018 (भारत) से अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी. यदि किसी भी व्यक्ति को इस मामले में कोई और प्रश्न पूछना है, तो वह कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर हमसे संपर्क कर सकता है, जिसका विवरण www.shubham.co पर देखा जा सकता है.

के लिए और की ओर से
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
एसडी/-
संजय चतुर्वेदी, सीईओ

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 09-07-2025



**SMFG Grihashakti** Nayi Asha. Naya Vishwas.

**एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051, **पंजीकृत कार्यालय:** कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

**अचल संपतियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस**

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल सम्पत्तियां ("सुरक्षित आस्तियां") जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद एसएमएचएफसी कहा जाएगा) ("सुरक्षित ऋणदाता") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जहां है जैसा है" के आधार पर बेची जाएंगी। नीचे उल्लिखित दिनांक और समय पर, नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए और वसूली की तारीख तक उस पर ब्याज और अन्य खर्चों के लिए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से एसएमएचएफसी सुरक्षित ऋणदाता को देय।

| स. क्रं. | उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन | संपत्तियों का विवरण | आरक्षित मूल्य: / बयाना राशि जमा: | ई-नीलामी की तिथि और समय | ईएमडी जमा करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan No. 601607510272172<br>1. सगीर अली कुरेशी<br>2. कौसर कुरेशी<br>3. रॉयल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर | प्लाट संख्या 48 हनमंत स्कीम संख्या 31 इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित रेजीडेंसी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर फ्लैट संख्या 40 का वह हिस्सा और पार्सल, क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट। उत्तर - सीढ़ी, पूर्व - सड़क, दक्षिण - फ्लैट संख्या 41, पश्चिम - नाला। | रु. 4,20,000/-<br>रु. 42,000/- | 24.07.2025 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक | 23.07.2025 |
| 2 | Lan No.601639211029698<br>1. वसीम जावेद<br>2. शमा बी | प्लाट संख्या 76, 77, 78, 95, 96 और 97 पर वामन हट्स सतगुरु रेजीडेंसी ब्लॉक बी की दूसरी मंजिल पर फ्लैट संख्या 207 का वह हिस्सा और पार्सल, आशियाना पैलेस कॉलोनी, ग्राम काली बिल्लोद तहसील देपालपुर आगर (मालवा) मध्य प्रदेश, जिला इंदौर 453001 प्रवेश: 405 वर्ग फीट। पूर्व - सामान्य मार्ग, पश्चिम - प्लाट संख्या 79, उत्तर - फ्लैट संख्या 206-बी, दक्षिण - फ्लैट संख्या 207-ए। | रु. 7,10,000/-<br>रु. 71,000/- | 24.07.2025 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक | 23.07.2025 |

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारे/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर भी दिए गए हैं निम्न लिंक वेबसाइट पते पर (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) इच्छुक बोलीदाता संपर्क कर सकते हैं: विनय राठौर, उनके मोबाइल नंबर 9827121084, ई-मेल: vinay.rathour@grihashakti.com, और श्री निलोय डे, उनके मोबाइल नंबर 9920697801, ई-मेल: Niloy.Dey@grihashakti.com

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्थान : इन्दौर, मध्य प्रदेश
दिनांक : 07.07.2025



**कब्जा नोटिस**

जबकि, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर ब्याज भी अदा करें।

| क्र. सं. | ऋण संख्या | उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता | 13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रुपये में) | दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30609610000161<br>30609410000434<br>और<br>30609410000905 | 1) श्री शुभम मालवीय, पुत्र कैलाश चंद्र,<br>2) श्री सचिन मालवीय, पुत्र. कैलाश चंद्र | 24.04.2025<br>रु.14,53,686.77 (चौदह लाख तिरपन हजार छः सौ छियासी और सत्तहत्तर पैसे मात्र) 20.04.2025 तक | दिनांक 05.07.2025 समय: प्रातः 11.25 बजे प्रतीकात्मक कब्जा |
| | **सुरक्षित संपत्तियों का विवरण:** प्लॉट नं. 08 के मध्य भाग वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट (46.46 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण सहित, सीताराम नगर कॉलोनी, मेंढकीचक, (वार्ड नं. 13, क्रमांक 390), नगर निगम देवास, तहसील और जिला देवास (म.प्र.) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमा: पूर्व में: अन्य भूमि, पश्चिम में: कॉलोनी रोड, उत्तर में: प्लॉट नंबर 08 का शेष भाग और दक्षिण में: प्लॉट नंबर 08 का शेष भाग। | | | |
| 2 | 32760440000103<br>और<br>32769410000762 | 1) श्री बलराम, पुत्र रुग्गाजी,<br>2) श्रीमती रेशम, पत्नी बलराम | 17.04.2025<br>3,49,580.59 रुपये (तीन लाख उनचास हजार पांच सौ अस्सी और उनसठ पैसे मात्र) 11.04.2025 तक | दिनांक: 03.07.2025 समय: 03.55 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा |
| | **सुरक्षित संपत्तियों का विवरण:** मकान/प्लॉट नंबर 144, क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट (वर्ग मीटर 69.67) सहित भूमि का वह पूरा टुकड़ा, उस पर निर्माण सहित, खसरा नंबर 36, पी.एच. नंबर 46, वार्ड नंबर 11, ग्राम खोरियापद्मा में स्थित, ग्राम पंचायत खोरियापद्मा, जनपद पंचायत महिदपुर तहसील झारदा और जिला उज्जैन (म.प्र.) की सीमा के भीतर। पूर्व में खुली भूमि, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में धर्मेन्द्र का मकान और दक्षिण में राधेश्याम का मकान। | | | |

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 09.07.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

**JANA SMALL FINANCE BANK** (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं.10/1, 11/2 और 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालय: प्लॉट नं.306-ए, पीयू 4, स्कीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।



**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** IDFC FIRST Bank

**(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**
**(CIN-L65110TN2014PLC097792)**
**रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031**
**फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022**

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना**

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32893351 | संपत्ति के बदले ऋण | 14.06.2025 | 2,56,151.74/- |

**उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम:** 1. कुलदीप सिंह राजपूत 2. कमलेश कुंवर

**संपत्ति का पता:** निर्मित प्लॉट या मकान संख्या 47 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, वार्ड संख्या 18, स्त्रँ संख्या 17, किलोना गांव, ग्राम पंचायत रिछी, तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश-465445, लगभग 2475 वर्ग फीट में स्थित है , और इस प्रकार घिरा हुआ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: मालिकों का बाड़ा, उत्तर में सौभाग्य सिंह का घर, दक्षिण: श्याम सिंह का घर

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46533220 | होम लोन | 14.06.2025 | 5,81,645.67/- |

**उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम:** 1. शिवराज सिंह राठौर 2. पवन कुंवर 3. फुंदा लाल राठौर

**संपत्ति का पता:** मकान संख्या का पूरा टुकड़ा और पार्सल।37, कुल क्षेत्रफल 3920 वर्ग फीट (7340 = 2920 वर्ग फीट + 50 20 =1000 वर्ग फीट), सर्वे नंबर 163, स्त्रँ नंबर 43 पर स्थित, ग्राम: शेरपुर बुजुर्ग, तहसील: ताल, जिला: रतलाम, मध्य प्रदेश-457114 पूर्व: सड़क, पश्चिम: राम सिंह का घर, उत्तर: खुली जमीन, दक्षिण: नारायण सिंह का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,** आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 09.07.2025
स्थान: मध्यप्रदेश